

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 56/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट

इब्राहीम पुत्र बाबू खां जाति तेली तहसील डेह
जिला नागौर, राजस्थान

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

उपस्थिति :-

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 16.02.23

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 08/2022 सरकार बनाम इब्राहीम में निर्णय दिनांक 21.03.2022 के तहत मौजा डेह की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.11.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील अपीलान्त की अपील दिनांक 1.12.2022 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 21.03.2022 की फोटोप्रति, आदेशिका दिनांक 07.01.2022 से 21.03.2022 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, इब्राहीम खां के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार डेह द्वारा रेस्पोडेन्ट पटवारी हल्का डेह द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21.03.2022 को एकपक्षीय निर्णय अपीलांत के विरुद्ध पारित किया गया जिसकी अपीलांत को कोई जानकारी नहीं रही ना ही अपीलांत को किसी प्रकार से कोई नोटिस प्राप्त हुआ ना ही अपीलांत के मकान पर कोई नोटिस की चस्पानगी की गई। अपीलांत को दिनांक 15.11.2022 का पटवारी हल्का डेह ने जानकारी दी की तुम्हे अतिक्रमी घोषित किया जाकर निर्णय पारित किया गया है जिस पर अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी कर निर्णय व पत्रावली की नकल बाबत आवेदन पेश किया जिस पर न्यायालय तहसीलदार डेह से अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त हुई। जिस पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 17.11.2022 को होने से अपील अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 विधिविरुद्ध एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](II)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 25.02.22 में अपीलांत को नोटिस प्राप्त होना मानकर किसी सलीम नाम के व्यक्ति को अपीलांत का भाई बताकर जवाब के लिए समय दिया गया जबकि अपीलांत को उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी नहीं रही तथा दिनांक 21.03.2022 को अपीलांत के विरुद्ध बिना किसी प्रकार से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये बिना एवम् अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस अपीलांत द्वारा तामिल सुदा प्राप्त होने का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से द्वेषतापूर्ण अपीलांत को क्षति कारित करने के आशय से बिना किसी नोटिस के द्वारा अपीलांत को सूचना दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध एवम् न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण एवम् मनमानी कार्यवाही को दर्शित करने वाला निर्णय होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](III)—रेस्पोजेन्ट ने खसरा नम्बर 1558 मौजा डेह में अपीलान्ट का मकान बनाकर अतिक्रमण किये होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की परन्तु अपीलान्ट का कब्जा गैर मुमकिन मगरा भूमि में कब्जा किन पडौस के बीच में व अतिचार की गई भूमि की लम्बाई चौड़ाई के संबंध में किसी प्रकार से कोई अंकन नहीं है तथा अपीलान्ट जो गांव डेह का ग्रामीण अनपढ एवम् दिहाडी मजदूर है जिसका वर्षों पुराना अर्थात् करीब 40 वर्ष से अधिक समय का पूर्वजो के समय का होकर अपीलान्ट परिवार सहित निवास कर रहा है उक्त मकान के अलावा अपीलान्ट के आवास निवास का अन्य कोई मकान या जायगा गांव डेह में नहीं है। अपीलान्ट जिस मकान में निवास कर रहा है, वहां पूर्ण रूप से आबाद क्षेत्र होकर करीब 300 मकानों की आबादी है, जिसके उपरान्त भी अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार से सूचित किये एवम् सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार से कोई साक्ष्य अभिलिखित किये बिना एवम् बिना अपीलान्ट को सुने अपीलान्धीन आदेश पारित किया जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](IV)— अपीलान्ट का जहां अधीनस्थ न्यायालय ने मकान होना दर्शित किया है, उस भू-भाग में पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है, अपीलान्ट के आस पास में कही पर भी कोई सरकारी भूमि खुली नहीं है परन्तु अपीलान्ट अल्पसंख्यक समुदाय का तेली जाति का ग्रामीण, अनपढ एवम् गरीब व्यक्ति होने से व कही पर भी अपीलान्ट का अन्य कोई आवास निवास नहीं होने के उपरान्त भी मनमाने ढंग से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

[3]—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा डेह में स्थित गैर मुमकिन मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्धीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके डेह की गैर मुमकिन मगरा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर